संख्या- 86/2015/364/22-4-15-48(19)/14

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक- 26 मार्च, 2015**

विषय-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में कृषि फार्म के उपयोगार्थ प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 01 नग ट्रैक्टर/ट्राली के क्रय हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26973/कृषि-2/115/2010, दिनांक-18.09.2014 एवं पत्र संख्या-8922 कृषि-2/115/2010, दिनांक-18.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में कृषि फार्म हेतु निष्प्रयोज्य ट्रैक्टर के प्रतिस्थापन स्वरूप 01 नग ट्रैक्टर स्कार्ट पीटी-439/ट्राली क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 7,13,756/- (रूपया सात लाख तेरह हजार सात सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत ट्रैक्टर/ट्राली का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना /सेवा के अन्तर्गत ट्रैक्टर/ट्राली क्रय किया गया था वह विद्यमान हो और उसके लिए ट्रैक्टर/ट्राली की आवश्यकता हो।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि ट्रैक्टर/ट्राली का क्रय एक से अधिक बार न हो।

(5) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

<u>संख्या-86/2015/364(1)/22-4-2015-तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in